

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149) /2025/95

दिनांक : 05/03/2025

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री परमेश्वर लाल लैब टैक्नीशियन	पीएचसी जखोडा, खण्ड पिलानी, झुन्झुनू।	03.03.1965	31.03.2025

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 05/03/2025

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149) /2025/95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।

उक्त कर्मचारी  
के विरुद्ध यदि  
आडिट पेरा या  
अन्य कोई वसूली  
बकाया हो तो  
उसकी वसूली  
तत्काल कर  
निदेशालय को  
अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :01-03-2025 02:33:29